## दिल्ली विधान समा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 06 जनवरी, 2010 / पोष 16, 1931 (शक)

संख्या-59

विषयः सदस्य की नज़रबदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित ए.सी.पी, पुलिस थाना नई

दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

ा, नई दिल्ला से निम्नालाखत सदरा प्राप्त हुआ है. —
"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के
माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की
धारा 65 के तहत दिनॉक 26.12.2009 को अपराहन 13.45 बजे पुलिस
थाना संसद मार्ग द्वारा नज़रबंद किया गया।
उन्हे उसी दिन पुलिस थाना संसद मार्ग से अपराहन 14.10 बजे रिहा कर
दिया गया।"

सिद्धार्थ राव सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 6<sup>th</sup> January 2010/ Pausa 16, 1931(Saka)

No. 59

## Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, New Delhi Distt., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Shoaib Iqbal was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Police Station Parliament Street, New Delhi at 1345 Hrs on 26.12.2009.

He was released at 1410 Hrs from the same place on the same date."

SIDDHARATH RAO

Secretary